न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 549/17

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बनगिरी पुत्र चिमनगिरी 2– भंवरगिरी पुत्र चिमनगिरी 3– जसगिरी पुत्री चिमनगिरी 4– राजगिरी पुत्र चिमनगिरी 5– उम्मदेगिरी पुत्र चिमनगिरी 6– लिछमणगिरी पुत्र किशनगिरी 7– चुनगिरी पुत्र किशनगिरी कौम स्वामी निवासी ग्राम ओमपुरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		1–हीराराम पुत्र जयराम कौम जाट निवासी ग्राम बिरसालू कलां तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2–रावतगिरी पुत्र कानगिरी 3–तेजगिरी पुत्र कानगिरी 4–धनगिरी पुत्र किशनगिरी कौम स्वामी निवासी ग्राम ओमपुरा तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–1–2016 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 7/2009 अनवान बनगिरी वगैरा बनाम हीराराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 03–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध म्युटेशन संख्या 614 ग्राम ओमपुरा तहसील ओसियां को निरस्त करने बाबत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे इस आधार पर पेश की थी कि रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने वादग्रस्त भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 1 को बिना आधार एवं वादग्रस्त भूमि उसके बंट मे नही होते हुए भी उसमे से बेचान कर दिया, जो बेचान अवैद्य एवं शून्य बेचान था तथा उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 614 पारित कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 25–1–2016 के द्वारा खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पो0गण को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर रेस्पो0गण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए परंतु रेस्पो0गण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी

बहस मे कथन किया कि पक्षकारो के मध्य राजीनामा होकर जमीन का बंटवाडा कर लिया था उक्त बंटवाडे मे रेस्पो0 के बंट मे बेचान की गई वादग्रस्त भूमि नही रखी जाने के बावजुद रेस्पो0 ने भूमि का बेचान कर दिया इसलिए बेचान ही शून्य एवं अवैद्य था जिसके आधार पर भरा गया म्युटेशन निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांट की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय मे लिखित बंटवाडा पेश किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना कि सक्षम न्यायालय मे दावा चल रहा है इसलिए म्युटेशन को निरस्त करके दावे के अनुसार हक एंव अधिकार तय होने के संबंध मे निष्कर्ष देकर आदेश पारित करना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई कब्जा एवं काश्त नही था, फिर भी बिना कब्जे एवं काश्त तथा बिना सहखातेदारो को सुने अपीलाधीन म्युटेशन पारित किया गया था जो निरस्त योग्य था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनरस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर म्युटेशन संख्या 614 दिनांक 3–2–2009 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन किया एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 614 का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट एंव रेस्पो0गण के अधिवक्ताओ की विस्तृत बहस का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जिसके संबंध मे अपीलांट का इस द्वितीय अपील मे मुख्य कथन यह है कि पक्षकारो के मध्य सहायक कलेक्टर ओसियां के न्यायालय मे बंटवाडा का दावा चल रहा है इसलिए बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 614 को दावे के निर्णय तक पेण्डिंग रखना चाहिये था ।

इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि पक्षकारान के मध्य विचाराधीन बंटवाडे के दावे मे अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि के बेचान पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किया हुआ नही था, ऐसे मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 614 जो कि पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने का विवेचन करते हुए

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नामांतरकरण संख्या 614 मे वर्णित ग्राम ओमपुरा के खसरा नंबरान 391, 396, 397 एवं 401 मे वर्णित कुल 20.08 बीघा भूमि के संबंध मे पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडे की लिखत का दस्तावेज पेश किया था तथा उसके अनुरूप बंटवाडा का दावा सहायक कलेक्टर ओसियां मे प्रस्तुत कर रखा है जिसमे अभी निर्णय पारित होना शेष है । ऐसे मे अपीलांटगण उक्त लंबित दावे मे रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे हुए बेचान के तथ्य को प्रकट कर अपने हक हकूको के निर्धारण के संबंध मे चाराजोही कर सकते है तथा बंटवाडे के दावे मे पारित निर्णय से ही पक्षकारान का हिस्सा तय होगा।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–1–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर